



"निगम हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत करता है"

रसीदो रजिस्ट्री Regd. A. D.
फार्म 'सी'-11 FORM 'C' 11

उप क्षेत्रीय कार्यालय मारोल
SUB REGIONAL OFFICE MAROL

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदिप भवन, प्लॉट नं. ९, रोड नं. ७,

एम.आय.डी.सी. मारोल. अंधेरी (पू.), मुंबई-४०० ०९३.

PANCHADEEP BHAVAN, PLOT NO. 9, ROAD NO. 7

M.I.D.C. MAROL, ANDHERI (E), MUMBAI-400093.

संख्या:एम/व्याप्ति/No. M/Cov./ RM-5946 (35-04366-57)

दिनांक Date :- 8-3-2007

सेवा में, To,

मेसर्स M/s. CHEMTRONICS TECHNOLOGIES, प्रमुख नियोजक

Principal

(I) P.LTD.,

Employer :

28, SATYAM INDL. ESTATE,

SUBHASH ROAD, JOGESHWARI (E),

MUMBAI - 400 060.

विषय :- क. रा. बी. अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन 1 क.रां.बी. अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) की धारा 2/(12)-1/(5) के अन्तर्गत कर्मचारियों एवं कारखानों/स्थापनाओं का पंजीकरण ।

Sub : Implementation of the ESI Act, 1948. Registration of Employees and factories/establishments U/S/2 (12)-1 (5) of the ESI Act, 1948 as amended.

प्रिय महोदय/या Dear Sirs/Madam

आपको आगे सूचित करना है कि केन्द्रीय सरकार ने क.रा.बी. अधिनियम की धारा 1 (3) के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में स्थित सभी कारखानों अधिनियम के उपबंधों को लागू किया है ।

I have to inform that Under Sec. 1 (3) of the ESI Act, the Central Government has made provisions of the Act applicable to all factories situated within the notified area.

2. आपको आगे सूचित करना है कि उपयुक्त सरकार ने अपनी दिनांक 18-9-78 की अधिसूचना संख्या क.रा.बी. - 1677/3910/पी. एच-14 के द्वारा दिनांक 12-11-1978 से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1/(5) के अन्तर्गत अन्य स्थापनाओं में भी अधिनियम के उपबंधों को बढ़ा दिया है ।

2. I have further to inform you that the appropriate Government has extended the provisions of the Act to other Establishments Under Sec. 1 (5) of the ESI Act with effect from 12-11-1978 vide notification No. ESI-1677/3910/PH-15 dated 18-9-1978, and to Road Motor Transport Establishments with effect from 13-3-1989 vide Notification No. ESI/2788/2999/CR/350/MED/13 dated 10-3-1989.

3. अधिनियम की धारा 2-क के अनुसार ऐसे कारखाने/स्थापना को स्वयं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करना आवश्यक है और अध्याय IV के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त अपने कर्मचारियों के बारे में अंशदानों की अदायगी का उत्तरदायित्व प्रमुख नियोजक को सुनिश्चित करना है ।

3. Under Section 2-A of the Act such a factory/establishment is required to register itself under the Act and Chapter IV